MRA Fin Unus The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti, 454] No. 454] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2011/श्रावण 20, 1933 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2011/SRAVANA 20, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 617(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 621 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में अभियोजन फाइल करने और उनके संचालन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है।

- 1. श्री अनिल सिंघल, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण)
- 2. श्री एम. वेंकटेस्वरलु, सहायक निदेशक (अन्वेषण)
- 3. श्री एंस. के. नन्दा, सहायक निदेशक (अन्वेषण)
- 4. श्री डी. के. शर्मा, सहायक निदेशक (कॉर्पोरेट विधि)

[फा. सं. 5/37/2011-सीएल. V (पॉलिसी 1)]

ें जे. एन. टिक्कू, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2011

G.S.R. 617(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 621 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorise the following officers in Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, for the purposes of filing and conducting prosecution under the Companies Act, 1956.

- 1. Shri Anil Singhal, Senior Assistant Director (Investigation)
- 2. Shri M. Venkateswarlu, Assistant Director (Investigation)
- 3. Shri S. K. Nanda, Assistant Director (Investigation)
- 4. Shri D. K. Sharma, Assistant Director (Corporate Law)

[F. No. 5/37/2011-CL. V (Policy I) J. N. TIKKU, Jt. Director